न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या:–11/2019/अपील

1 हरिशंकर पुत्र लच्छाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी ग्राम मगनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– अपीलान्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत बाय, जरिये सरपंच कार्यालय ग्राम पंचायत बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2 गुलाबी देवी पत्नि लच्छाराम
3 भंवरलाल
4 बजरंगलाल } पुत्रगण स्व. लच्छाराम
5 नाथूराम
6 गोविन्दलाल
समस्त जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासीगण मगनपुरा, बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7 तहसीलदार महोदय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 178 दिनांक 20.09.2007 तस्दीक ग्राम पंचायत बाय तहसील दांतारामगढ

उपस्थिति:

1 श्री योगेश शर्मा वकील अपीलान्ट की ओर सें।
2 श्री शंकरलाल वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 की ओर सें।

निर्णय दिनांक 02.03.2020

1. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 107 वर्तमान ख0नं0 206, 207, 209, 211, 212 ता 220, 222 ता 229, 231 कुल किता 20 कुल रकबा 7.57 हैक्टर ग्राम मगनपुरा पटवार हल्का बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस् संख्या 2 ता 6 काबिज काश्तकार खातेदार है। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास लगभग 13 वर्ष पूर्व हो गया है तथा अपीलान्ट के पिता के फौत होने पर चुनौतिग्रस्त नामान्तरण भरा गया। जिसमें अपीलान्ट का वास्तविक नाम

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

हरिशंकर नहीं अंकन किया गया। अपीलान्ट का नाम हीरालाल अंकन किया गया है। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम हरिशंकर है। उक्त अवैध व प्रभावशुन्य नामान्तरण निम्न आधारों पर निरस्त घोषित होने योग्य है– 1. चुनौतिग्रस्त नामान्तरण प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त होने योग्य है। 2 चुनौतिग्रस्त नामान्तरण अंकन करने से पहले अपीलान्ट कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए भी निरस्त उद्घोषित होने योग्य है। 3. अपीलान्ट का वास्तविक नाम हरिशंकर पुत्र लच्छाराम है, ना कि हीरालाल पुत्र लच्छाराम है। 4. अपीलान्ट के सभी दस्तावेज, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, गाडी की आर. सी. सभी में वास्तविक नाम हरिशंकर पुत्र लच्छाराम अंकन है। जो अपीलान्ट के विधिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे है। इसलिए भी निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट को अपने उक्त गलत नाम के अंकन का पूर्व भी कोई ज्ञान नहीं था, अपीलान्ट के.सी.सी. कार्ड बनवाने के लिए जब हल्का पटवारी के पास जमाबन्दी लेने दिनांक 07.08.2019 को गया। तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम अपने गलत नाम अंकन की जानकारी हुई तब अपीलान्ट ने नामान्तरण के नकल भी हल्का पटवारी से दिनांक 07.08.2019 को नकल प्राप्त की, तब जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वैसे भी अवैध, प्रभावशुन्य आदेश कभी भी निरस्त उद्घोषित किया जा सकता है। फिर भी मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंकन में प्रस्तुत किया जा रहा है। हीरालाल नाम से कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त नामांतकरण निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को रिमाण्ड किया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 की ओर सें वकील श्री शंकर लाल हाजिर आये तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलांट पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन सें स्पष्ट है कि मृतक लच्छाराम की विरासत का नामांतकरण भरते समय उसके वारिस/अपीलांट का नाम तथा प्रस्तुत दस्तावेजों में लच्छाराम के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

वारिसान के नामों में भिन्नता है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 178 दिनांक 20.09.2007 बतस्दीक ग्राम पंचायत बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान के दस्तावेजों में नाम आदि की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner